विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
संशोधित कार्यसूची
शुक्रवार, 26 नवम्बर, 2021 / अग्रहायण 05, 1943 (शक)
11.00 बजे पूर्वाह्न
राष्ट्रगीत–वन्दे मातरम्

1. निधन संबंधी उल्लेख

2. संविधान दिवस का अनुपालन :
मानानीय सदस्य इस अवसर पर भारत के संविधान की प्रस्तावना का पठन करेंगे। (पाठ संलग्न)

3. सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागज़ातः
श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्य मंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगेः
   1. दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का वर्ष 2019–20 हेतु छठा वार्षिक प्रतिवेदन एवं छठे वार्षिक प्रतिवेदन के मुख्य बिंदु (अंग्रेजी प्रति)
   2. इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (आई.आई.आई.टी.डी) के वित्तीय वर्ष 2019–20 के लेखा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा कृत्य कार्रवाई रिपोर्ट (हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति)

4. प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण :
सुश्री राखी बिडला
सुश्री भावना गौड़
प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।

5. **विशेष उल्लेख (नियम–280)** : निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेश उल्लेख के मामले उठाये जायेंगेः–

1. श्री गिरीश सोनी	6. श्री मुकेश अहलावत
2. श्री गुलाब सिंह	7. श्री पवन शर्मा
3. श्री राज कुमार आनंद	8. श्री अजय कुमार महावर
4. श्री जरनैल सिंह	9. श्री भूपेंद्र सिंह जून
5. श्री विशेष रवि	10. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस

6. सरकारी संकल्प (नियम–90) :
श्री गोपाल राय, माननीय विकास मंत्री कृषि कानूनों और किसान आंदोलन के संबंध में सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे। (संकल्प का पाठ संलग्न)

7. प्रतिवेदन पर सहमति :
सुश्री राखी बिडला
सुश्री भावना गौड़
प्रस्ताव करेंगी किः *"यह सदन दिनांक 26 नवम्बर, 2021 को सदन में प्रस्तुत **प्रश्न एवं संदर्भ समिति के प्रथम प्रतिवेदन** से सहमत है।"*

दिल्ली
26 नवम्बर, 2021

राज कुमार
सचिव

<u>संविधान की उद्देशिका</u>

हम भारत के लोग,

भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व–सम्पन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए,

तथा उसके समस्त नागरिकों को :

सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए

तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और

राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में

आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ईस्वी (मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत् दो हजार छह विक्रमी) को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत,अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।

<u>सरकारी संकल्प (नियम–90)</u>

राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा 26 नवम्बर, 2021 की अपनी बैठक में संकल्प करती है किः

केन्द्र सरकार द्वारा पारित तीनों केंद्रीय कृषि कानून किसानों तथा आम जनता के हितों के विरूद्ध थे और इनको मुट्ठी भर व्यापारिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए लागू किया गया था,

यह सदन उन राजनीतिक दलों की निंदा करता है, जिन्होंने उन किसानों को आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी कहकर गलत तरीके से बदनाम करने की साजिश की, जो अपने अधिकारों के लिए खड़े हुए और जिन्होंने अहिंसक तरीके से केंद्र सरकार के कानूनों का विरोध किया,

यह देश 700 से भी अधिक किसानों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता, जिन्होंने इन कृषि कानूनों का विरोध करते हुए अपनी जान गंवाई और यह सदन उन किसानों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता और सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता है,

यह सदन उन सभी किसानों के निकटतम संबंधी को सम्मानजनक मुआवजा देने की मांग करता है, जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ते हुए अपनी जान गंवाई,

यह सदन इन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा का स्वागत करता है और केंद्र सरकार से इन्हें जल्द से जल्द वापस लेने का आह्वान करता है,

यह सदन किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी की जायज मांग के साथ खड़ा है, जैसा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया था,

यह सदन विभिन्न राज्यों में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान निर्दोष किसानों के विरूद्ध दर्ज आपराधिक मामलों को तत्काल वापिस लेने की मांग करता है, और

यह सदन लखीमपुर घटना में निर्दोष किसानों की दिन–दहाड़े हत्या में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा की भूमिका के कारण उनके निलंबन और गिरफ्तारी की भी मांग करता है

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

REVISED LIST OF BUSINESS

Friday, 26 November 2021 / 05 Agrahayana 1943 (*Saka*)
11.00 AM

NATIONAL SONG-*VANDE MATARAM*

1. **Obituary References**

2. **Observance of Constitution Day :**
Members to read out the Preamble of the Constitution (Text attached).

3. **Papers to be laid on the Table:**

   Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister to lay copies of the following on the Table of the House:
   1. 6th Annual Report of Delhi Technological University for the year 2019-20 alongwith Highlights of 6th Annual Report (English Version)
   2. CAG Audit Report on the Annual Accounts of the Indraprastha Institute of Information Technology Delhi (IIITD) for the Financial Year 2019-20 along with Action Taken Report (Hindi and English Version).

4. **Presentation of Report :**
Ms. Rakhi Birla
Ms. Bhavna Gaur
to present the **First Report of Questions and Reference Committee**.

5. **Special Mention (Rule-280) :**
The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair :
   1. Shri Girish Soni
   2. Shri Gulab Singh
   3. Shri Raaj Kumar Anand
   4. Shri Jarnail Singh
   5. Shri Vishesh Ravi
   6. Shri Mukesh Ahlawat
   7. Shri Pawan Sharma
   8. Shri Ajay Kumar Mahawar
   9. Shri Bhupinder Singh Joon
   10. Shri Pramila Dhiraj Tokas

6. **Government Resolution (Rule-90) :**
Shri Gopal Rai, Hon'ble Minister of Development to move a Government Resolution on Farm Laws and Farmers agitation (Text of Resolution attached).

7. **Adoption of Report :**
Ms. Rakhi Birla
Ms. Bhavna Gaur
to move that "This House agrees with the ***First Report of the*** **Questions and Reference Committee** *presented to the House on 26th November 2021".*

Delhi | **Raj Kumar**
26 November 2021 | **Secretary**

PREAMBLE OF THE CONSTITUTION

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a **SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC**

REPUBLIC and to secure to all its citizens:

JUSTICE, social, economic and political;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, DO HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

Government Resolution (Rule-90)

"The Legislative Assembly of Delhi in its sitting dated 26.11.2021 resolves that:

The three Central farm laws passed by the Central Government were against the interests of farmers and public in general and were enacted to favour handful of Business houses;

This House condemns the political parties which conspired to wrongfully defame the farmers, who stood for their rights and non violently protested against the Central Government, as terrorists and anti nationals;

This Nation can never forget the supreme sacrifice of more than 700 farmers who lost their lives while protesting against these Farm Laws and this House expresses its sincere gratitude and respectful homage to these farmers;

This august House demands honourable compensation to the next kin of all those farmers who lost their lives fighting for their rights;

This House welcomes the announcement of repealing these farm laws and calls upon the Central Government to repeal them at the earliest;

This House stands with the farmers in their very legitimate demand of legal guarantee of Minimum Support Price as promised by the BJP in its manifesto;

This House demands immediate withdrawal of criminal cases filed against the innocent farmers during the peaceful protests in different states and

This House also demands the dismissal and arrest of the Union Minister of State (Home) Shri Ajay Kumar Mishra for his role in the daylight killing of innocent farmers in the Lakhimpur incident."